रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 1973/चैत्र 13, 1895

No. 78] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 1973/CHAITRA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 3rd April 1973

No. DRAWBACK/PN-13/73.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK, published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-I dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 3827 and the entries relating thereto the following sub-serial number and the entries shall be inserted, with effect from 1-12-1972, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3828	Tyre Bead Wire	Rs. 253·75 (Rupees two hundred fifty-three and paise seventy-five only) per tonne.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-13/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 3827 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् 1-12-1972 से उपक्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी ; अर्थात् :—

उप-क्रम संख्या	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3828	टायर बीड वायर	253.75 रुपये (केवल दो सौ त्रेपन रुपये तथा पचहत्तर पैसे) प्रति टन।

उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए नियत सभी ब्राण्ड दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने से, वापस ले ली गयी समझी जायेंगी।

No. DRAWBACK/PN-14/73.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 5006 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-S. No.	Description	Rate of drawback
5007	Sports Light Roadster Bicycles:—	
	(a) fitted with imported 3 speed hubs.	Rs. 14/- (Rupees fourteen only) per bicycle plus the amount of import duty paid on the imported 3 speed hubs as determined with reference to the relevent Bill(s) of Entry on a 'First In First out' basis.

Provided that manufacturer/exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs regarding import and duty incidence in respect of an adequate number of 3 speed hubs to cover the export of S.L.R. Bicycles fitted with 3 speed hubs and provided further that the imported 3 speed hubs in respect of which such evidence is produced, have not been ;—

(i) similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation; and

(ii) previously re-exported as such or in any other form, whether under claim for drawback or otherwise.

NOTE :—The above rate inclusive of drawback on packing materials which should include the following, namely :—

(1) Individual carton for each bicycle made of corrugated board, and kraft liner.

(2) Packing staples.

(3) Wire nails.

(4) Box strapping.

(5) Brown paper.

It is to be noted that if the above packing materials are not used the above drawback rate should not be applied.

(b) Other than those fitted with 3 speed hubs, whether exported in assembled or SKD or CKD condition.	Rs. 12·50 (Rupees twelve and paise fifty only) per bicycle (exclusive of drawback on packing material which may be claimed separately under appropriate 'all industry' rates of drawback).

All the brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

सं० प्रतिग्रदायगी / पी० एन०–14/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, ग्रसाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 में प्रकाशित ग्रधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० ग्र०) के नियम 3 के ग्रधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 5006 तथा उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रम सं० तथा प्रविष्टियों को ग्रन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

उप-क्रम सं०	विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
5007.	स्पोर्ट्स लाइट रोडस्टर बाइसिकल	
	(क) ग्रायातित 3 स्पीड हबों से युक्त ।	14 रुपये (केवल चौदह रुपये) प्रति बाइसिकल; तथा 'पहले ग्राग्रो पहले जाग्रो' के ग्राधार पर संगत ग्रागम पत्र (पत्रों) के संदर्भ में यथा-निर्धारित ग्रायात-शुल्क की रकम जो ग्रायातित 3 स्पीड हबों पर ग्रदा की गई ।

परन्तु यह तब जब कि निर्माता/ निर्यातकर्ता, 3 स्पीड हबों से युक्त स्पोर्ट्स लाइट रोडस्टर बाइसिकलों के निर्यात को समाविष्ट करने के निमित्त 3 स्पीड हबों की एक पर्याप्त संख्या के ग्रायात एवं शुल्क के भार के सम्बन्ध में सीमाशुल्क-समाहर्ता के समाधानप्रदरूप से साक्ष्य

प्रस्तुत करता हो और इसके अतिरिक्त यह भी कि आयातित 3 स्पीड हबों को, जिनके बारे में वैसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है,

(i) किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में वैसे ही सह-सम्बद्ध नहीं किया गया है और उसके लिए हिसाब में नहीं लिया गया है; तथा

(ii) प्रतिअदायगी के दावे सहित अथवा दावे के बिना, उसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में पहले पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ।

टिप्पणी :—उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्रियों पर दी जाने वाली प्रतिअदायगी शामिल है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए; अर्थात् :—

(1) प्रत्येक बाइसिकल के लिए अलग-अलग कार्टन, जो नालीदार बोर्ड, तथा क्राफ्ट लाइनर से निर्मित हो ।

(2) पैकिंग स्टेपल ।

(3) तार की कीलें ।

(4) बक्से को लपेटने का फीता ।

(5) भूरा कागज ।

यह नोट किया जाय कि यदि उपर्युक्त पैकिंग सामग्रियों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त प्रतिअदायगी की दर लागू नहीं की जानी चाहिए ।

(ख) 3 स्पीड हबों से युक्त बाइसिकलों से भिन्न चाहे इनका निर्यात सज्जित अथवा एस० के० डी० अथवा सी० के० डी० स्थिति में किया गया हो ।	12.50 रुपये (केवल बारह रुपये तथा पचास पैसे) प्रति बाइसिकल (जिसमें पैकिंग सामग्री पर प्रति अदायगी शामिल नहीं है, जिसका दावा प्रतिअदायगी की समुचित 'सम्पूर्ण उद्योग' दरों के अधीन अलग से किया जा सकता है) ।

उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निश्चित सभी ब्रांड दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होते ही, वापस ले ली गयी समझी जायेंगी ।

एम० पंचप्पा,
निदेशक (प्रतिअदायगी) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973